जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 26.11.2024**

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला रेलपार में जानलेवा हमला कर हत्या करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 03.10.2024 को श्रवण पुत्र जयपाल निवासी मौहल्ला रेलपार जनपद शामली ने अपने पिता जयपाल के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला करने जिनकी उपचार के दौरान की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में अपने बडे भाई संजय के विरुद्ध नामजद तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला रेलपार में अपने पिता के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर हत्या करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.संजय पुत्र जयपाल निवासी मौहल्ला रेलपार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3.है0का0 विनीत कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3.का0 अनुज कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ट्रक से कच्चा लोहा चोरी करने वाला 01 चोर गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक 25.07.2024 को सुरेन्द्र पुत्र महा सिंह निवासी ग्राम गावडी गोहानासदर जनपद सोनीपत हरियाणा ने ट्रक से कच्चा लोहा चोरी करने के सम्बन्ध में ट्रक के ड्राइवर गिरजील व कंडक्टर रणधीर के विरुद्ध थाना झिंझाना पर तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ट्रक के कन्डक्टर रणधीर पुत्र गुरदीप उर्फ दलीप निवासी ग्राम रंगाना को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो कि अभियोग में नामित अभियुक्त दिलशाद को पूर्व में ही दिनांक 08.11.2024 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रणधीर पुत्र गुरदीप उर्फ दलीप निवासी ग्राम रंगाना फार्म थाना झिंझाना जनपद शामली हाल निवासी करतारनगर अमलोह रोड थाना खन्ना सिटी 2 जिला लुधियाना पंजाब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0कां0 योगेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 अमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना/कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 26.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.अनवर पुत्र सुनराती निवासी खेडी करमू शामली थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.सुनील पुत्र पालेराम निवासी ग्राम सकौती थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.बेगराम उर्फ बेगराज पुत्र धीरा उर्फ रणधीर बावरिया निवासी ग्राम अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 मामलों में 05 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 9,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1.वर्ष 1997 में अभियुक्त राजू पुत्र रघुवंशीलाल निवासी मौहल्ला मण्डी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 251/1997 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 26.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.वर्ष 1999 में अभियुक्त सलीम पुत्र रफीक निवासी मुण्डेट थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 201/99 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 26.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 4,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.वर्ष 2004 में अभियुक्त बलराम पुत्र महेश निवासी मौहल्ला दयानन्द नगर थाना कोतवाली शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 02/2004 धारा 323 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 26.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.वर्ष 1994 में अभियुक्त 1.मुसर्रफ पुत्र राशिद निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली 2.लियाकत पुत्र सदाकत निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 24/1994 धारा 3/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 26.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1,000-1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1.राजू पुत्र रघुवंशीलाल निवासी मौहल्ला मण्डी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

2.सलीम पुत्र रफीक निवासी मुण्डेट थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

3.बलराम पुत्र महेश निवासी मौहल्ला दयानन्द नगर थाना कोतवाली शामली।

4.मुसर्रफ पुत्र राशिद निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.लियाकत पुत्र सदाकत निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI